



Neutral Citation No. - 2026:AHC:162120

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या- 7769

सन् 2026

कुंती देवी और 2 अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

आशीष कुमार

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 173 सन् 2024 के अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता, थाना- निचलौल, जिला महाराजगंज में आवेदकगण की ओर से दायर की गई है। इसमें उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदकगण को उक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण 'गोंड जाति' से हैं और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आते हैं। आवेदकगण से जुड़ा प्रकरण राज्य स्तरीय जाति जांच समिति के पास लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जब तक राज्य स्तरीय जाति जांच समिति का कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक आवेदकगण के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया कि आवेदकगण का प्रकरण राज्य स्तरीय जाति जांच समिति के पास विचाराधीन है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है। आवेदकगण पर आरोप है कि वे अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं और गलत जानकारी देकर 'गोंड जाति' का बताकर अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र हासिल किया है।

6. आवेदकगण ने दिनांक 17.03.2026 का एक नोटिस प्रस्तुत किया है जो आवेदक संख्या 1 के पति, कमलेश गोंड के नाम है और राज्य स्तरीय जांच समिति के सामने पेश होने के बारे में है। बताया जा रहा है कि यह प्रकरण अभी भी राज्य स्तरीय जांच समिति के पास लंबित है। आवेदक संख्या 1 और 2 महिलाएं हैं, और आवेदक संख्या 3 सह-अभियुक्त कमलेश गोंड का बेटा है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदकगण को अग्रिम ज़मानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

8. उपरोक्त को देखते हुए, आवेदकगण का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. यदि आवेदकगण - **कुंती देवी, सुनीता देवी, कृष्ण कुमार** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का अपना व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे इन शर्तों का पालन करें:-

i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदकगण पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होंगे।



ii. आवेदकगण प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

iv. आवेदकगण अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे या उन्हें डराएंगे-धमकाएंगे नहीं।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

3 अगस्त, 2026

प्रियंका